



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी-633

दिनांक 4/8/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खोदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री गोपाल लाल यादव एवं ओम प्रकाश यादव पुत्रान स्व. श्री शिव नारायण यादव	श्री मंगल पुत्र श्री आनन्दी लाल	ई-700 (100 वर्ग गज)	जविप्रा योजना	लालकोठी योजना	नाम हस्तान्तरण	स्वघोषणा पत्र, अभ्यर्पण शपथ पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्रों, पूर्व में जारी लीजडीड की प्रति

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

1677

दिनांक:

5/8/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री यादराम यादव द्वारा भूखण्ड संख्या 06 योजना-विनायक विहार का पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन संख्या 112917 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का लीजडीड अपने पक्ष में जारी करने हेतु प्रार्थी द्वारा सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर भूखण्ड संख्या 06 योजना-विनायक विहार का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी-2371

दिनांक : 3-8-22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	108513	628	सूर्य नगर	श्री विमल वर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय	श्रीमती प्रेम देवी वर्मा पत्नी श्री भगवान वर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
2.	--	358	गायत्री नगर-ए	श्री सुशील जैन पुत्र श्री नारायण सिंह बोहरा	श्री नारायण सिंह बोहरा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
3.	112029	35	अग्रसेन नगर	श्री त्रिलोक नारायण नाग पुत्र श्री देवी नारायण माथुर	श्री देवी नारायण माथुर पुत्र स्व. श्री आनन्दी नारायण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
4.	--	166 ए, 167ए, 168 ए	शांति नगर बी	श्री अनिल गोयल पुत्र श्री रामकिशोर गोयल	श्री रामेश्वर चौधरी पुत्र श्री राम चौधरी	अपंजीकृत इकरारनामा
5.	--	बी-38	श्याम नगर	श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी स्व. श्री सुखवीर सिंह शर्मा	श्री सुखवीर सिंह शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
6.	--	155	निर्माण नगर-ई	श्री ईश्वर योगी, श्री रोहित योगी, श्री हंसराज योगी पुत्रान् श्री छीतर मल योगी	श्री चिमन लाल वर्मा पुत्र श्री हरि सिंह वर्मा	मूल इकरारनामा गुम होने के कारण
7.	82307	47	पटेल नगर	श्री गिरधारी लाल पृथ्वानी पुत्र श्री सुखराम दास	श्रीमती लीलावती बाई पत्नी श्री सुखराम दास	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

हस्ताक्षर
उपायुक्त जोन-5

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी- 2332

दिनांक...3/8/2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।


उपाध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत
संख्या.....2332 दिनांक.....31/8/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृ.नि.स.स एवं मदरामपुरा गृ.नि.स.स** की योजना **कृष्णा कॉलोनी-चतुर्थ** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा तहसील जयपुर।	1018	0.3035 हैक्ट.	गोपीनाथ पुत्र मोहन लाल जाति महाजन सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 31/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1672

दिनांक:-
3/8/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्र में बुनियादी गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र सं	सदस्य का नाम	पिता /पति का नाम	भूखण्ड संख्या
1	योगेन्द्र जांगिड	शंकरलाल जांगिड	24
2	सावित्री देवी	शंकरलाल जांगिड	49
3	शंकरलाल जांगिड	मदनलाल जांगिड	48

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

Sd

उपायुक्तजोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1675

दिनांक:- 4/8/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित ओम शिव गृ.नि. स.समिति की योजना- कृष्णा कुंज कॉलोनी बजरंग द्वार के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र. सं.	सदस्य का नाम व पिता पति का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल
1	श्रीमती बादाम देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर	1	216
2	श्रीमती रुकमा देवी पत्नी श्री छीतरमल शर्मा	2	200
3	श्रीमती इन्द्रा कंवर पत्नी श्री हुनमान सिंह जी	3	150
4	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री रामनरेश	4	150
5	श्रीमती साधना सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जी	5	150
6	श्री रामचन्द्र कुमावत पुत्र श्री श्योंनारायण कुमावत	6	150
7	श्रीमती शान्ति शर्मा पत्नी श्री केशव प्रसाद शर्मा	7	75
8	श्रीमती रेणू शर्मा पत्नी श्री नरेश कुमार शर्मा	7ए	75
8	श्रीमती नान्ची देवी पत्नी श्री गणपत लाल	8	90
9	श्री सीताराम कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत	8ए	90
10	श्री श्योजीराम पुत्र श्री बालुराम चौधरी	9	90
11	श्रीमती राजकुमारी कुमावत पत्नी श्री ललिता कुमार कुमावत	9ए	90
12	श्री जगदीश चन्द्र नागा पुत्र श्री भैरुलाल नागा	10	90
13	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री गोपाल लाल गुप्ता	10ए	175
14	श्री मेघश्याम चतुर्वेदी पुत्र श्री उग्रसेन चतुर्वेदी	11	93.3
15	श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री किशन सहाय गुप्ता	11ए	94
16	श्रीमती चन्दन कंवर पत्नी श्री कर्ण सिंह	12	170
17	श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री रामरतन तिवाड़ी	12ए	130
18	श्री रामरतन जी पुत्र श्री रामकिशोर जी	13	150
19	श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी श्री रामकृष्ण शर्मा	14	225
20	श्री उगम सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जी	15	150
21	श्रीमती माली देवी पत्नी श्री भगचन्द मीणा	16	150
22	श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री सुखाराम चौधरी	17	75
23	श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री सुखाराम चौधरी	17ए	75
24	श्री लेखराज सिंह चौहान पुत्र श्री राम सिंह चौहान	19	200
25	श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री धन्ने सिंह राठौड़	20	200
26	श्री राजकुमार पुत्र श्री हनुमान दास जी	21	200
27	श्रीमती माली देवी पत्नी श्री प्रभु दयाल जी	23	100
28	श्रीमती गुढी देवी पत्नी श्री छितर मल जी शर्मा	23	100
29	श्रीमती सणगारी देवी पत्नी श्री कल्याण सहाय शर्मा	24	225
30	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री मदन लाल शर्मा	25	131.2
31	श्री नथूराम सोनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सोनी	26	135.4
32	श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री गंगा सिंह	27	139.5
33	श्री दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री श्यामलाल शर्मा	28	147
34	श्री बाघसिंह पुत्र श्री अमर सिंह	29	80
35	श्री शिव प्रसाद कनोडिया पुत्र श्री मुन्नु लाल कनोडिया	30	225
36	श्रीमती राजू देवी पत्नी श्री बनवारी लाल	31	156
37	श्री ओमप्रकाश जांगिड़ पुत्र श्री रामलाल जांगिड़	32	80
38	श्री भंवर लाल जांगिड़ पुत्र श्री रामलाल जांगिड़	32ए	80
39	श्रीमती आरती देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार राणा	33	164



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

40	श्री करण सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जी	34	225
41	श्री बाबुलाल जी गुप्ता पुत्र श्री बिशनलाल गुप्ता	34ए	167
42	श्री श्रवण लाल वर्मा पुत्र श्री भिवा राम वर्मा	35	113
43	श्री मांगी लाल बुनकर पुत्र श्री उदाराम बुनकर	36	215
44	श्री मदन लाल पालीवाल पुत्र श्री रामू लाल पालीवाल	37	190
45	श्री भीमराज पुत्र श्री महादेव बलाई	38	178
46	श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री अजीत सिंह जी	39	165
47	कुमारी विमलेश कंवर पुत्री श्री विक्रम सिंह जी	40	200
48	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामनारायण शर्मा	41	199.72
49	श्री पप्पूलाल शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा	42	187.6
50	श्री रामकिशोर शर्मा पुत्र श्री मंगलराम शर्मा	43	187.6
51	श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा	44	228
52	श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा	45	223.4
53	श्री कालूराम शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा	46	221.4
54	श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री सुवालाल शर्मा	47	104.3
55	श्री बिरदीचन्द शर्मा पुत्र श्री सुवालाल शर्मा	48	103.5
56	श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री सूवालाल शर्मा	49	103.5
57	श्रीमती संतोष पत्नी श्री बद्री	50	95.13
58	श्री लालचन्द शर्मा पुत्र श्री सुवालाल शर्मा	51	96
59	श्री कल्याण सहाय शर्मा पुत्र श्री सुवालाल शर्मा	52	96
60	श्री मुन्नालाल शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा	53	242.2
61	श्री दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा	54	247.7
62	श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री श्यामलाल शर्मा	55	245.6
63	श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा	56	362.8
64	श्री महेश शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा	57	352.2

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या.....1676

दिनांक.....5/8/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17.02.1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण सूरजपोल गेट गृ.नि.स.स.लि. की योजना- गणेश नगर व गणेश नगर विस्तार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
बडारामा तहसील - जयपुर	300	4.1860	1. गणेश पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार 2. नानू पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार 3. सुज्या पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार
	302	0.4047	
	308	0.0379	
	309	0.0885	
	314	0.7841	
बडारामा	307	0.6829	1. सुज्या पुत्र सेवा हिस्सा - पूर्ण जाति -अहीर (यादव)सा देह. खातेदार
	311	0.5311	
बडारामा	301	8.6628	1. गणेश पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार 2. नानू पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार 3. नेहरू गृ.नि.स.स.लि. हिस्सा -11/684 रजि.न. 2764/एल खातेदार 4. विजय कुमार शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा 5/171 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार 5. शंकरलाल शर्मा पुत्र गौरीलाल शर्मा हिस्सा 10/171 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार 6. संजीव कुमार चौधरी पुत्र रणधीर सिंह हिस्सा 10/171 जाति-जाट (यादव)सा देह. खातेदार 7. सुनील कुमार शर्मा पुत्र बद्रीप्रसाद हिस्सा 5/171 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार 8. सुरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र चौधरी रामचन्द्र हिस्सा 10/171 जाति अहीर (यादव)सा देह. खातेदार
बडारामा	310	0.6450	1. गणेश पुत्र सेवा हिस्सा- पूर्ण जाति- अहीर (यादव) सा देह. खातेदार
	312	0.5691	
	313	0.2276	

उपायुक्त जयपुर-7
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 4/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd/-
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

4. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्यो हस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

Sd/-
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जयपुर विकास अधिकारी
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या.....1680

दिनांक.....5/8/2024

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17.02.1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण लक्ष्मी गृ.नि.स.स.लि. की योजना- करणी कुन्ज द्वितीय के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
धाउवास तहसील - जयपुर	56	0.3920	1. कानाराम पुत्र गोदू हिस्सा 1/6 जाति- मेघवंशी सा देह. खातेदार 2. गोविन्ददा पुत्र भौरू हिस्सा 1/2 जाति- मेघवंशी सा देह. खातेदार 3. नानगराम पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/24 जाति- मेघवंशी सा देह. खातेदार 4. भूराराम पुत्र गोदू हिस्सा 1/6 जाति- मेघवंशी सा देह. खातेदार 5. राधेश्याम पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/24 जाति- मेघवंशी सा देह. खातेदार 6. रामस्वरूप पुत्र गोदू नाथूराम हिस्सा 1/24 जाति- मेघवंशी सा देह. खातेदार 7. सीताराम पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/24 जाति- मेघवंशी सा देह. खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

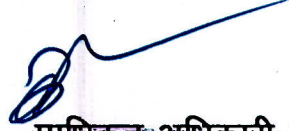
उपस्थित जान-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd,
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।


प्राधिकृत अधिकारी एवं
जयपुर वि. उपायुक्तकरण
जोन-07 जविप्रा, जयपुर